

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संख्या - 03/02-राज्य यो0-भू0अ0नि0(आरोप)-लखीसराय-44/2022..... पटना, दिनांक :- 08/05/2023

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक 755/बंदो0 दिनांक 13.12.2022 द्वारा श्री भुपेन्द्र कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02598) के विरुद्ध रैयतों द्वारा राशि के लेन-देन करने से संबंधित लगाए गए आरोप की जांच कराने पर श्री कुमार को आरोपित पाए जाने के कारण सेवा विमुक्ति की अनुशंसा की गयी थी।

प्रतिवेदित आरोप के आलोक में भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय के पत्रांक 98 दिनांक 04.01.2023 द्वारा आरोपित से 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। आरोपित द्वारा निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। प्राप्त स्पष्टीकरण पर बंदोबस्त पदाधिकारी से मंतव्य की मांग की गयी है। बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 275 दिनांक 28.03.2023 के द्वारा मंतव्य भेजा गया है।

बंदोबस्त पदाधिकारी के अनुशंसा के आलोक में श्री भुपेन्द्र कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02598) को इस चेतावनी के साथ स्पष्टीकरण से मुक्त किया जाता है कि भविष्य इनके विरुद्ध यदि आरोप प्रतिवेदित किया जाता है, तो इनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा पूर्व में पत्रांक 755 दिनांक 13.12.2022 के द्वारा प्रस्तुत मामले में की गयी अनुशंसा तथा पुनः विपरित मंतव्य दिए जाने के विरुद्ध अलग से पत्र निर्गत किया जा रहा है।

(जयसिंह)
निदेशक

ज्ञापांक :- 03/02-राज्य यो0-भू0अ0नि0(आरोप)-लखीसराय-44/2022..... पटना, दिनांक :- 08/05/2023
प्रतिलिपि :- श्री भुपेन्द्र कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02598), बंदोबस्त कार्यालय, लखीसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक :- 03/02-राज्य यो0-भू0अ0नि0(आरोप)-लखीसराय-44/2022..... पटना, दिनांक :- 08/05/2023
प्रतिलिपि :- बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, लखीसराय को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक :- 03/02-राज्य यो0-भू0अ0नि0(आरोप)-लखीसराय-44/2022..... पटना, दिनांक :- 08/05/2023
प्रतिलिपि :- श्रीमती सरीता कुमारी, प्रोग्रामर को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने तथा निदेशालय आदेश संख्या 1250 दिनांक 30.01.2023 के अनुपालनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाण